



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253342  
CG-DL-E-23032024-253342

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1462]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946

No. 1462]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

का.आ. 1531(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को डॉ. अशोक पनगड़िया, प्रोफेसर एमेरिटस, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा, पंजाब के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 7 फरवरी 2020 के का.आ. 616 (अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/170/2018-पीएमएसएसवाई-IV में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"9. डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह "

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/131/2023-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2024

**S.O. 1531(E).**—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Poonam Khetrpal Singh, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, Punjab in place of Dr. Ashok Panagariya, Professor Emeritus, Sawai Man Singh Medical College, Jaipur, Rajasthan, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/170/2018-PMSSY-IV dated the 30th January, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 616(E) dated the 7th Feb, 2020:

In the said notification, for serial number 9 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely:-

“9. Dr. Poonam Khetrpal Singh;”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/131/2023-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.